आरटीआई मामले

सं. ए-004/2014-पीआईसी

शहरी विकास मंत्रालय

पीआई प्रकोष्ठ

निर्माण भवन, नई दिल्ली 110 108

दिनांक 24.4.2014

## कार्यालय ज्ञापन

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अधीन अपनी ओर से प्रकटन के बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देश

अधोहस्ताक्षरी को एतदद्वारा उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013 की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित करने का निदेश हुआ है।

2. सभी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों से अनुरोध है कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार अपनी ओर से प्रकटन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

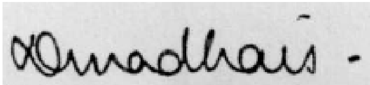

(माधवी मोहन)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति

1. शहरी विकास मंत्रालय के सभी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
2. सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/इस मंत्रालय के अधीन सभी सांविधिक निकायों के प्रमुख।

सं. 1/6/2011-आईआर

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 15 अप्रैल, 2013

## कार्यालय ज्ञापन

**विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अधीन अपनी ओर से प्रकटन का कार्यान्वयन- दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में:**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) में उन सूचनाओं का उल्लेख किया गया है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा स्वत: अपनी ओर से या अग्रसक्रिय आधार पर दी जानी चाहिए। धारा 4(2) और धारा 4(3) में इस सूचना के प्रसार की विधि दी गई है। धारा 4 के अधीन अपनी ओर से प्रकटन का उद्देश्य अग्रसक्रिय आधार पर सार्वजनिक डोमेन में बड़ी मात्रा में सूचना उपलब्ध कराना है ताकि लोक प्राधिकरण अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी ढंग से काम कर सकें और अलग-अलग आरटीआई आवेदन दायर करने की आवश्यकता न हो।

2. 2005 में इस अधिनियम के प्रख्यापन के बाद से सरकारी कामकाज से संबंधित बड़ी मात्रा में सूचना सार्वजनिक डोमेन में दी जा रही है। लेकिन अग्रसक्रिय प्रकटन की गुणवत्ता और मात्रा वांछित स्तर तक नहीं है। यह महसूस किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 का उचित प्रकार से कार्यान्वयन नहीं किया जाना आंशिक रूप से इस कारण है कि इस धारा के कतिपय उपबंधों का विस्तार से विश्लेषण नहीं किया गया है और कुछ अन्य उपबंधों के मामले में विस्तृत दिशानिर्देश देने की आवश्यकता है। इसके अलावा अनुपालन तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपेक्षाएं पूरी की जा सकें।

3. उपर्युक्त कार्य के लिए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन अपनी ओर से प्रकटन के संबंध में मई 2011 में एक कार्यबल का गठन किया जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में यथानिर्दिष्ट अग्रसक्रिय प्रकटन या अपनी ओर से प्रकटन के उपबंधों के अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए सूचना के अधिकार के क्षेत्र में सक्रिय सिविल सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस कार्यबल की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपनी ओर से प्रकटन के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय किया है।

4. इन विषयों पर केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए दिशानिर्देश हैं:

i. धारा 4 के अधीन और अधिक मदों का अपनी ओर से प्रकटन

ii. धारा 4 के अधीन अग्रसक्रिय प्रकटन के डिजिटल प्रकाशन के लिए मार्गनिर्देश

iii. धारा 4(1)(ख)(iii), 4(1)(ख)(iv) और 4(1)(ख)(xiv) का विस्तृत विवरण

iv. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अपनी ओर से प्रकटन (अग्रसक्रिय प्रकटन) के लिए अनुपालन तंत्र।

5. उपर्युक्त दिशानिर्देश संलग्न हैं। तथापि, यह ध्यान रखें कि अग्रसक्रिय प्रकटन स्थानीय भाषा में किया जाना चाहिए ताकि आम लोग इसे पढ़ सकें। यह उस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो आसानी से समझ आए और यदि तकनीकी शब्दों का उपयोग किया जाता है तो उनकी सावधानीपूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। धारा 4 में जैसाकि दिया गया है, प्रकटन यथासंभव माध्यमों में किया जाना चाहिए और प्रकटन अद्यतन होना चाहिए। सूचना का प्रकटन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 से 11 के उपबंधों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

6. केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों को अपनी ओर से प्रकटन करना चाहिए और इन दिशानिर्देशों के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

7. संलग्न दिशानिर्देश अनुपालन हेतु सभी की जानकारी में लाए जाएं।

हस्ता/-
(मनोज जोशी)
संयुक्त सचिव
दूरभाषः 23093668

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, चुनाव आयोग।
3. केंद्रीय सूचना आयोग
4. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली
5. भारत के महालेखापरीक्षक और नियंत्रक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

# सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपनी ओर से प्रकटन के संबंध में दिशानिर्देश

## 1.0 धारा 4 के अधीन और अधिक मदों का अपनी ओर से प्रकटन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उप-धारा 4(2) के तहत यह अपेक्षित है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न माध्यमों के जरिये नियमित अंतराल पर जनसामान्य को अपनी ओर अधिकाधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उप-धारा 4(1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसरण में कदम उठाए ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े। तदनुसार लोक प्राधिकरणों द्वारा धारा 4 के उपबंधों के तहत अपनी ओर से प्रकटन में निम्नलिखित बातों का अग्रसक्रिय रूप से प्रकटन किया जाना चाहिए :

## 1.1 खरीद संबंधी सूचना

1.1.1 नोटिस के प्रकाशन/निविदा संबंधी पूछताछ, उन पर शुद्धिपत्र, खरीदी जा रही वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के नाम का ब्यौरा देते हुए दिए गए ठेके का ब्यौरा या काम के ठेकों या इन सब के सम्मिश्रण और इस प्रकार की खरीद या काम के ठेके की दर और कुल राशि सहित लोक प्राधिकरणों द्वारा की गई खरीद से संबंधित सूचना का प्रकटन किया जाना चाहिए। निविदा संबंधी सूचनाओं के अनिवार्य प्रकाशन पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के का.ज्ञा. सं. 10/1/2011-पीपीसी, दिनांक 30 नवंबर, 2011 के अनुसार प्रकटन योग्य सभी सूचना केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल और का.ज्ञा. सं. 10/3/2012 दिनांक 30 मार्च 2012 के अनुसार धारा 4 के तहत व्यापक आद्योपांत (शुरू से अंत तक) ई-अधिप्राप्ति के कार्यान्वयन का प्रकटन किया जाना चाहिए। वर्तमान में 10.00 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की दर के ठेकों या केंद्रीय भंडार/एनसीएफ के माध्यम से की गई खरीद के मामले में केवल दिए गए ठेके का विवरण प्रकाशित किया जाना है। तथापि, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के दायरे में आने वाली खरीद संबंधी सूचना के प्रकटन से छूट है।

## 1.2 सार्वजनिक निजी सहभागिता

1.2.1 यदि लोक सेवाएं सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) द्वारा प्रदान कराए जाने का प्रस्ताव है तो पीपीपी ठेका/रियायत करार करने वाले लोक प्राधिकरण द्वारा पीपीपी संबंधी सारी सूचना सार्वजनिक की जानी चाहिए। इसमें विशेष प्रयोजन वाहन का ब्यौरा, यदि कोई हो, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, रियायत करार, प्रचालन एवं रखरखाव मैन्युअल और पीपीपी परियोजना के कार्यान्वयन के भाग के रूप में सृजित अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(घ) और 8(1)(ञ) के तहत सूचना के प्रकटन से छूट के दायरे में आने वाले दस्तावेजों का अपनी ओर से प्रकटन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, शुल्क, पथकर या अन्य प्रकार के राजस्व जो सरकार के प्राधिकार से संग्रह किए जा सकते हैं, के बारे में सूचना, उत्पादन और परिणामों, निजी क्षेत्र

की पार्टी के चयन की प्रक्रिया संबंधी सूचना का प्रकटन अग्रसक्रिय रूप से किया जाना चाहिए। पीपीपी परियोजना के अधीन किए गए सभी भुगतान और इस प्रकार के भुगतान के प्रयोजन संबंधी सूचना का भी प्रकटन समय-समय पर किया जा सकता है।

### 1.3 स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश

1.3.1 लोक प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों/संवर्गों की स्थानांतरण नीति का अग्रसक्रिय रूप से प्रकटन किया जाना चाहिए। सभी स्थानांतरण आदेशों को वेबसाइट या इस अधिनियम की धारा 4(4) में सूचीबद्ध विधि से प्रकाशित किया जाना चाहिए। ये दिशानिर्देश राज्य की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा कार्यनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर किए गए स्थानांतरण तथा अधिनियम की धारा 8 के अधीन दी गई छूट के मामलों में लागू नहीं होंगे। ये अनुदेश सूचना का अधिकार अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अधीन सुरक्षा और आसूचना संगठनों के लिए भी लागू नहीं होंगे।

### 1.4 आरटीआई आवेदन

1.4.1 सभी लोक प्राधिकरण प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपील और उनके प्रत्युत्तर का सक्रिय रूप से प्रकटन लोक प्राधिकरणों द्वारा अनुरक्षित वेबसाइटों पर करेंगे जिनमें प्रमुख शब्दों के आधार पर खोज की सुविधा हो। व्यक्ति विशेष की निजी जानकारी संबंधी प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों तथा उन पर प्रतिक्रियाओं का प्रकटन नहीं किया जाएगा क्योंकि इनसे कोई लोक हित पूरा नहीं होता है।

### 1.5 सीएजी और पीएसी पैरा

1.5.1 लोक प्राधिकरणों द्वारा सीएजी और पीएसी पैरा का अग्रसक्रिय प्रकटन संसद के दोनों सदनों के पटल पर इन्हें प्रस्तुत किए जाने के बाद ही किया जा सकता है। तथापि, राज्य की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा कार्यनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों तथा अधिनियम की धारा 8 के अधीन दी गई छूट के दायरे में आने वाली सूचना से संबंधित सीएजी पैरा के प्रकटन से छूट है।

### 1.6 नागरिक चार्टर

1.6.1 विभाग/संगठन के रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज के एक भाग के रूप में मंत्रालय/विभाग द्वारा तैयार नागरिक चार्टर का अग्रसक्रिय रूप में प्रकटन किया जाना चाहिए और नागरिक चार्टर में निर्धारित कसौटियों के प्रति छमाही निष्पादन रिपोर्ट भी लोक प्राधिकरणों की वेबसाइट पर दर्शाई जानी चाहिए।

### 1.7 विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान

1.7.1 मंत्रालय/विभाग द्वारा राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्य संस्थाओं को दिए गए सभी विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आवंटन संबंधित मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर दिया जाना

चाहिए। सभी विधिक संस्थाओं जिन्हें लोक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान दिए जाते हैं, के वार्षिक लेखों को प्रकाशन के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रकटन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 से 11 के उपबंधों के अधीन होंगे।

## 1.8 प्रधानमंत्री/मंत्रियों के विदेश दौरे

1.8.1 मंत्रियों या विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए सरकारी दौरों के बारे में आरटीआई के तहत कई प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री के विदेश और घरेलू दौरों की प्रकृति, स्थान और अवधि के बारे में सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर पहले ही दी जा चुकी है।

1.8.2 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/8/2012-आईआर दिनांक 11/9/2012 के अनुसार लोक प्राधिकरणों द्वारा 1 जनवरी 2012 से मंत्रियों या भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों और विभागों के प्रमुखों द्वारा किए गए विदेश और घरेलू अधिकारिक दौरों का अग्रसक्रिय रूप से प्रकटन किया जाना चाहिए। यह सूचना हर तिमाही में अद्यतन की जानी चाहिए।

1.8.3 अग्रसक्रिय रूप में प्रकट की जाने वाली सूचना में आधिकारिक दौरों की प्रकृति, दौरा किए गए स्थानों, अवधि, आधिकारिक शिष्टमंडल में शामिल व्यक्तियों की संख्या और इस प्रकार की यात्रा की कुल लागत शामिल होनी चाहिए। सूचना के प्रकटन के समय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत छूट का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये अनुदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की दूसरी अनुसूची के तहत सुरक्षा और आसूचना संगठनों और लोक प्राधिकरणों के केंद्रीय सतर्कता संगठनों के लिए लागू नहीं होंगे।

## 2.0 धारा 4 के अधीन अग्रसक्रिय प्रकटन के डिजिटल प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश

2.1 धारा 4 में यह दिया गया है कि लोक प्राधिकरण और सूचना प्राप्तकर्ता के स्तर पर निर्भर करते हुए सूचना कई माध्यमों से प्रदान की जानी चाहिए (उदाहरण के लिए पंचायत के मामले में सूचना के प्रसार के लिए वॉल पेंटिंग अधिक प्रभावी साधन हो सकती है) और अधिकाधिक अग्रसक्रिय प्रकटन धीरे धीरे इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा। प्रकटन के लिए सूचना के वेब आधारित प्रकाशन हेतु अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिशानिर्देश की आवश्यकता है।

2.2 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सरकारी वेबसाइटों के लिए तकनीकी मानक निर्धारित करने पर कार्य कर रहा है और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सरकारी विभागों की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। इन दिशानिर्देशों में वेबसाइट किस प्रकार डिजाइन किए जाने चाहिए और सूचना किस प्रकार प्रकट की जानी चाहिए इसके तरीके बताए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा यथानिर्दिष्ट सरकारी दिशानिर्देशों के मानकों का अनुपालन करने के साथ निम्निलिखित सिद्धांत भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेबसाइट के प्रकटन पूर्ण, आसानी से समझ में आने लायक, प्रौद्योगिकी और मंच तटस्थ हों और वांछित सूचना प्रभावी और उपयोगकर्ता के अनुकूल रूप में दी गई हो।

क) सभी लोक प्राधिकरणों का यह प्रयास होना चाहिए कि नागरिकों के लिए सभी पात्रताओं और नागरिकों और सरकार के बीच होने वाले सभी कार्य व्यापार को धीरे-धीरे कम्प्यूटर आधारित इंटरफेस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। 'सेवाओं की इलेक्ट्रानिक सुपुर्दगी विधेयक, 2012' जोकि भारत सरकार के अधीन तैयार किया जा रहा है, से इसमें आवश्यक तेजी आएगी।

ख) वेबसाइटों में लोक प्राधिकरणों द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली पात्रताओं/सेवाओं के उत्पत्ति स्थल से सुपुर्दगी स्थल तक की विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए।

ग) लोक प्राधिकरण के आदेश जारी होने के तुरंत बाद इन्हें वेबसाइट पर दिए जाने चाहिए।

घ) वेबसाइट में नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी संगत अधिनियम, नियम, फार्म्स और अन्य दस्तावेज दिए जाने चाहिए।

ङ) वेबसाइट में प्रमुख संपर्कों की विस्तृत निदेशिका, लोक प्राधिकरण के अधिकारियों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

च) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(xiv) के तहत प्रत्येक लोक प्राधिकरण के लिए 'अपने पास उपलब्ध या धारित सूचना का ब्यौरा इलेक्ट्रानिक रूप में' अग्रसक्रिय रूप में प्रकट करना बाध्यकारी है। इसलिए वेबसाइट में यह दर्शाया जाना चाहिए कि डिजिटल रूप में

धारित कौन सी सूचना इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्घ कराई गई है और कौन सी नहीं।

छ) जैसाकि विभाग इलेक्ट्रानिक सर्विस डिलीवरी करने में खुद को सक्षम बनाने के लिए अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करते हैं इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि सिस्टम डिजाइन करते समय सूचना का अधिकार अधिनियम में यथाविहित उचित पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

ज) सूचना की विश्वसनीयता बनाए रखने और वास्तविक समय में अद्‌यतनीकरण के लिए डिजिटल रूप में सूचना का सृजन प्रमुख कार्य परिणामों जैसे हाजिरी रजिस्टर और वेतन पर्ची (आंध्र प्रदेश में नरेगा) या सरकारी आदेश तैयार करने (आंध्र प्रदेश) के आधार पर स्वत: अद्‌यतन किया जाना चाहिए। ऐसा करने से अग्रसक्रिय प्रकटन स्वत: होगा।

झ) सूचना उपयोगकर्ता के नजरिये से दी जानी चाहिए जिसके लिए इसे पुनर्व्यवस्थित करने, सरल बनाने आदि की आवश्यकता हो सकती है। तथापि, मूल दस्तावेज मूल प्रारूपों में उपलब्ध कराया जाना जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि सरकार के कामकाज की सामुदायिक मॉनीटरिंग के लिए इनकी आवश्यकता होती है।

ञ) विज्ञान और प्रौद्‌योगिकी विभाग की 'नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिब्लिटी पॉलिसी' इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित सूचना शीघ्र ही उपलब्ध होनी चाहिए। यह नीति मार्च 2012 में अधिसूचित की गई है और इस अनुसूची का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।

ट) सूचना और डाटा खुले डाटा फार्मेट में दिए जाने चाहिए जिससे कि इन्हें भिन्न-भिन्न अनुप्रयोग प्रोटोकॉल इंटरफेसेस द्‌वारा लिया जा सके और विशिष्ट संदर्भों और आवश्यकताओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त तरीके से इनका उपयोग किया जा सके। उदाहरण के लिए सूचना/डाटा दृश्यांकन तकनीकों का उपयोग कर सशक्त दृश्य रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सूचना/डाटा के इस प्रकार के दृश्यांकन से ऐसी अंतर्दृष्टि मिल सकती है जो पाठ के रूप में या तालिका के रूप में डाटा के प्रस्तुतीकरण में छिपी रहती है। कुछ संदर्भों में तस्वीरें और दृश्य/श्रव्य रिकार्डिंग्स आदि अधिक उपयोगी हो सकते हैं। देश के कुछ भागों में ग्राम सभा की बैठकों की वीडियो रिकार्डिंग करने की पहल की गई है। उदाहरण के लिए, नरेगा के कार्यस्थल की तस्वीर शब्दों से काफी कुछ अधिक बयां करती हैं। इस प्रकार के सभी मीडिया और माध्यमों का उपयोग अग्रसक्रिय प्रकटन के लिए किया जाना चाहिए।

ठ) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अग्रसक्रिय रूप से प्रकट सूचना या डाटा दर्शाने वाले हर वेबपेज पर सबसे ऊपर दाएं कोने में अनिवार्य रूप से 'अंतिम अद्‌यतन की तारीख (तारीख/माह/वर्ष)' दर्शायी जानी चाहिए।

## 3.0 प्रकटन को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाने के लिए धारा 4(1)(ख) के कतिपय खंडों के लिए दिशानिर्देश

3.1 धारा 4(1)(ख) के विभिन्न उप-खंडों में सूचीबद्ध सूचना के विभिन्न तत्वों को एकीकृत रूप में प्रकट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए लोक प्राधिकरण के कार्यों और दायित्वों को इसके कर्मचारियों की शक्तियों और कार्यों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और नियमों के मानकों, इसके कार्यों के निष्पादन में उपयोग किए जाने वाले अनुदेशों और मैन्युअल से अलग रखकर नहीं समझा जा सकता है। एक तत्व की व्याख्या दूसरे तत्व की उपस्थिति की पूर्वकल्पना करती है। इसलिए प्रत्येक लोक प्राधिकरण को स्वैच्छिक प्रकटन सामग्री तैयार करते समय इन उप-खंडों में उल्लिखित सूचना को एकीकृत करने का प्रयास करना चाहिए।

3.2 कतिपय उप-खंडों के संबंध में प्रकटन अपेक्षाकृत काफी कमजोर रहे हैं, इसे ध्यान में रखते हुए चार उप-खंडों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं :

### 3.3 धारा 4(1)(ख)(iii) के लिए दिशानिर्देशः "पर्यवेक्षण और दायित्व के चैनेल्स सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि"

3.3.1 उपयुक्त सरकार द्वारा जारी सापेक्ष कार्य आवंटन नियमावली (एओबी) के तहत सभी सरकारी विभागों के विशिष्ट कर्तव्य और दायित्व हैं। प्रत्येक विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले संवैधानिक उपबंध और संविधियां एओबी में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हैं। प्रत्येक विभाग/मंत्रालय को दिए गए मामलों के निपटान के तरीके कार्य व्यवहार नियमावली (टीओबी) में वर्णित हैं। इसके अलावा हर विभाग के लिए विशिष्ट योजनाएं और विकास कार्यक्रम हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में अथवा अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अन्य नामित एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित करना होता है। इन दस्तावेजों में विशिष्ट प्रचालन शामिल हैं जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण को कार्यक्रम अथवा स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान करना होता है। कार्य व्यवहार नियमावली (टीओबी) के साथ पठित कार्य आवंटन नियमावली (एओबी) के तहत दिए गए प्रत्येक प्रचालन को विशिष्ट निर्णय लेने की श्रृंखला से जोड़ा जाएगा। सरकार के सभी अधिकारियों को निर्दिष्ट कार्यालय कार्यविधि संहिता या अन्य नियमों का पालन करना है जिनमें विस्तार से दिया गया है कि किस प्रकार नागरिकों से प्राप्त आवेदनों, अभ्यावेदनों और याचिकाओं पर कार्यवाही की जाए। इन मैन्युअल में टेम्पलेट्स, प्रारूप और निर्णय लेने के मूलभूत चरणों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। इन विश्लेषणों में सामान्य रूप में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के अवयव दिए गए हैं।

3.3.2 इसके अलावा शासन के दैनंदिन कार्य में सरकारी कार्यकारियों को अपने विवेक से निर्णय लेना होता है लेकिन व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत किसी न किसी नियम में दिए गए होते हैं। उदाहरण के लिए, सामान्य वित्त नियमों में सरकार के वित्त संबंधी विभिन्न प्रचालनों के लिए क्रियाविधियां दी गई हैं। खर्च के लिए किस प्रकार मंजूरी दी जाए; किस प्रकार सरकार को हुई हानियों की सूचना दी जाए;

किस प्रकार हानियों के लिए किसी सरकारी सेवक पर दायित्व का निर्धारण किया जाए; किस प्रकार बजट, मांग अनुदान तैयार और प्रस्तुत किया जाए; किस प्रकार लोक कार्यों की मंजूरी और निष्पादन किया जाए; किस प्रकार लोक प्राधिकरण द्वारा वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाए; इन सभी बातों का वर्णन इन मैन्युअल्स में किया गया है जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। चुनौती निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल संस्करण में प्रस्तुत करने की है जो आम नागरिकों की रूचि का हो।

3.3.3 उपर्युक्त के मद्देनजर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का ब्यौरा देने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश हैं:

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकरण को प्रमुख उत्पादन/वास्तविक परिणामों/सेवाओं/वस्तुओं जो भी लागू हो, की विशेष पहचान करनी चाहिए जो जनता या लोक प्राधिकरण का जो भी ग्राहक है, को मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार है।

(ख) उपर्युक्त (क) के संबंध में, निर्णय लेने की श्रृंखला की पहचान फ्लो चार्ट के रूप में की जानी चाहिए जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल लोक कार्यकारियों के पद/ग्रेड और निर्णय लेने के वरीयताक्रम के विशिष्ट चरणों का उल्लेख किया गया हो।

(ग) निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल अधीनस्थ कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण की शक्तियों सहित प्रत्येक अधिकारी की शक्तियों का भी फ्लो चार्ट के बगल में या टेक्स्ट बॉक्स में सरल बिंदु-वार रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए। आपवादिक परिस्थितियों में, जब निर्णय लेने की मानक प्रक्रियाओं का अधिक्रमण किया जा सकता है और यह किसके द्वारा किया जा सकता है, इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। जहां लोक प्राधिकरणों को अधिक स्वायतता प्रदान करने के लिए निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण हुआ है, उन प्रक्रियाओं का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(घ) इसके बाद प्रस्तुतीकरण के इस डिजाइन का सभी सांविधिक और विवेकाधीन प्रचालनों को कवर करने के लिए विस्तार किया जाना चाहिए जो टीओबी के साथ पठित एओबी के तहत लोक प्राधिकरण के अधिदेश के भाग हैं।

(ङ) लोक प्राधिकरण द्वारा मौजूदा निर्णय लेने की प्रक्रिया में परिवर्तन किए जाने या पूरी तरह नई प्रक्रिया अपनाए जाने की स्थिति में इस प्रकार के परिवर्तनों का सरल भाषा में उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि जनता किए गए परिवर्तनों को आसानी से समझ सके।

**3.4 धारा 4(1)(ख)(iv) के लिए दिशानिर्देश - "इसके कार्यों के निष्पादन के लिए निर्धारित मानक"**

3.4.1 इस खंड का प्रमुख उद्देश्य यह है कि लोक प्राधिकरण द्वारा उन मानकों का अग्रसक्रिय प्रकटन किया जाना चाहिए जिनके द्वारा इसके निष्पादन के बारे में निर्णय किया जा सके। मानक गुणात्मक या परिमाणात्मक प्रकृति के या सामयिक या सांविधिक मानक हो सकते हैं। इस खंड का

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लोक प्राधिकरणों को किए जा रहे प्रमुख कार्यों के लिए मानकों का प्रकटन करने की आवश्यकता होगी।

3.4.2 नागरिक चार्टर जोकि प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/प्राधिकरण के लिए प्रमुख कार्यों के निष्पादन के मानक निर्दिष्ट करने और उन मानकों के प्रति उपलब्धियों की मॉनीटरिंग करने के लिए सृजित साधनों के अच्छे उदाहरण हैं।

3.4.3 जहां कहीं भी कार्यों के निर्वहन के लिए किसी संविधि या सरकारी आदेशों द्वारा मानक विनिर्दिष्ट किए गए हैं, उन मानकों का अग्रसक्रिय प्रकटन खासतौर पर उन्हें पूर्वोक्त निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर किया जाना चाहिए। सभी लोक प्राधिकरणों को निम्नलिखित का अग्रसक्रिय प्रकटन करना चाहिएः

क) किसी विशिष्ट लोक प्राधिकरण/कार्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप में (अथवा किसी अन्य एजेंसी/ठेकेदार के जरिये अप्रत्यक्ष रूप में) प्रदान की जाने वाली सेवाओं और वस्तुओं को परिभाषित करना।

(ख) उन प्रक्रियाओं का ब्यौरा और व्याख्या देना जिनके द्वारा जनता लोक प्राधिकरण/कार्यालय से उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच बना सकें और/अथवा प्राप्त कर सकें जिनके वे हकदार हैं, साथ ही फार्म्स, यदि कोई विहित है, तो आवेदक और सेवा प्रदाता एजेंसी दोनों द्वारा उपयोग के लिए दिए जाने चाहिए। इस प्रकार के प्रपत्र (ऑनलाइन) जहां कहीं उपलब्ध हैं, के लिंक दिए जाने चाहिए।

(ग) उन शर्तों, मानकों और प्राथमिकताओं का उल्लेख करना जिनके द्वारा कोई व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के लिए पात्र बनता है और इसके परिणामस्वरूप उन व्यक्तियों की श्रेणियों का उल्लेख करना जो वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने के हकदार हैं।

घ) परिमाणात्मक और यथार्थपरक मानकों (वजन, आकार, बारंबारता आदि,) और समय सीमाओं को परिभाषित करना जो जनता के लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिए लागू होते हैं।

ङ) परिमाणात्मक और गुणात्मक परिणामों को परिभाषित करना जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण/कार्यालय उन वस्तुओं और सेवाओं के जरिये प्राप्त करने की योजना बनाता है जिन्हें मुहैया कराने के लिए यह बाध्य है।

च) वस्तुएं और सेवाएं मुहैया कराने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्दिष्ट करना (कौन सुपुर्दगी/कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है और कौन पर्यवेक्षण के लिए)।

**3.5 धारा 4(1)(ख)(xi) के लिए दिशानिर्देश - "इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित खर्चों और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट्स का ब्यौरा दिया गया हो"।**

3.5.1 अपने बजट का प्रकटन करते समय लोक प्राधिकरणों को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए:

(क) सरकारी बजट की तकनीकी प्रकृति को देखते हुए यह आवश्यक है कि मंत्रालय/विभाग अपने-अपने बजट का सरलीकृत संस्करण तैयार करें जिन्हें सामान्य जनता आसानी से समझ सकें और उन्हें सार्वजनिक डोमेन में रखें। बजट और उनकी आवधिक मॉनीटरिंग रिपोर्ट्स को रेखाचित्रों और सारणियों आदि के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए जाने वाले आउटकम बजट को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और बजटीय अवधि के दौरान तय किए गए वास्तविक लक्ष्यों और उन लक्ष्यों के प्रति वास्तविक उपलब्धि की पहचान करने के आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कर्नाटक में अनुसरण की जा रही मासिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कैलेंडर की रिर्पोटिंग पद्धति एक उपयोगी मॉडल है।

(ग) विभिन्न स्वायत्त संगठनों/सांविधिक संगठनों/संबद्ध कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सोसाइटियों/गैर सरकारी संगठनों/निगमों आदि, को जारी निधियां तिमाही आधार पर वेबसाइट में दी जानी चाहिए और इन प्राधिकरणों के बजट को मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के लिंक के जरिए सुलभ कराया जाना चाहिए। यदि किसी अधीनस्थ कार्यालय की वेबसाइट नहीं है तो इन अधीनस्थ प्राधिकरणों की बजट और व्यय रिपोर्ट प्रधान लोक प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए।

(घ) जहां कही कानून अथवा कार्यकारी अनुदेश द्वारा अपेक्षित है, प्रत्येक विभाग अथवा लोक प्राधिकरण (जहां व्यवहार्य हो) को क्षेत्र विशिष्ट आवंटनों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना चाहिए। उदाहरण के लिए महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर केंद्रित बजट आवंटन और लक्ष्य को रेखांकित किया जाना चाहिए। इन लक्ष्यों का क्षेत्रवार ब्यौरा और वास्तविक परिणामों को सरल रूप में दिया जाना चाहिए ताकि समाज के कमजोर वर्गों के लोग लोक प्राधिकरणों के बजट को बेहतर ढंग से समझ सकें।

### 3.6 धारा 4(1)(ख)(xiv) के लिए दिशानिर्देश - उपलब्ध अथवा धारित, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत, सूचना के संबंध में ब्यौरा

3.6.1 एक ओर यह खंड सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(क) के अधीन आवधिक रूप में सूचना के कंप्यूटरीकरण की दिशा में हुई प्रगति का अग्रसक्रिय प्रकटन के साधन के रूप में काम करता है। दूसरी ओर, यह इलेक्ट्रानिक सूचना के प्रकार के बारे में जनता को स्पष्टता प्रदान करता है जो यद्यपि लोक प्राधिकरण द्वारा धारण नहीं किया जाता लेकिन उनके लिए उपलब्ध है। उदाहरण के लिए एक उचित दर दुकान में उपलब्ध राशन के स्टाक की जानकारी जिला सिविल सप्लाइज कार्यालय में उपलब्ध न हो लेकिन एक अधीनस्थ संस्था में उपलब्ध हो सकती है।

3.6.2 लोक प्राधिकरणों में रिकार्डों और दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए उन रिकार्डों के डाटा जिन्हें डिजिटल किया जा चुका है, का संबंधित वेबसाइटों में अग्रसक्रिय रूप में प्रकटन किया जाना चाहिए, उन रिकार्डों/फाइलों/सूचना को छोड़कर जिन्हें धारा 8 के अधीन छूट है। डिजिटल रिकार्ड डाटा में रिकार्ड के नाम और श्रेणी अथवा उपयोग की गई अनुक्रमणिका; विषय वस्तु और कोई अन्य सूचना जो कार्यालय प्रक्रिया संहिता (और इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड्स के लिए एमओपी द्वारा विहित की जाने वाली संहिता जिसे डीएआरपीजी द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है) द्वारा यथाविहित फाइल के संबंध में संकलित की जानी अपेक्षित है, प्रभाग/अनुभाग/ईकाई/कार्यालय, जहां रिकार्ड सामान्य रूप में रखे जाते हैं; और रिकार्ड का जीवनकाल जैसाकि संगत रिकार्ड धारण अनुसूची में विहित है, शामिल किए जा सकते हैं।

**4.0 सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन अपनी ओर से (अग्रसक्रिय) प्रकटन के उपबंधों का अनुपालन**

4.1 प्रत्येक मंत्रालय/लोक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर ये पूरी तरह लागू हो जाएं।

4.2 इन दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रसक्रिय प्रकटन के लिए बड़ी मात्रा में सूचना एकत्र करना और इसका डिजिटलीकरण करना अपेक्षित होगा। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय/लोक प्राधिकरण कंसल्टेंट्स की सेवा ले सकते हैं या इन कार्यों को आउटसोर्स कर सकते हैं ताकि इन दिशानिर्देशों का शीघ्र अनुपालन किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए उस विभाग की योजना/गैर योजना निधियों का उपयोग किया जा सकता है।

4.3 इन दिशानिर्देशों के अनुपालन संबंधी की गई कार्रवाई की रिपोर्ट यूआरएल लिंक के साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सूचना आयोग को 6 माह की आरंभिक अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद भेजी जानी चाहिए।

4.4 प्रत्येक मंत्रालय/लोक प्राधिकरण को अपने अग्रसक्रिय प्रकटन पैकेज का प्रत्येक वर्ष तीसरे पक्ष द्वारा लेखापरीक्षण कराया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में अग्रसक्रिय प्रकटन के दिशानिर्देशों का अनुपालन और पैकेज में शामिल मदों की पर्याप्तता कवर की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या कोई अन्य प्रकार की सूचना है जिसका अग्रसक्रिय प्रकटन किया जा सकता था। इस प्रकार की लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष की जानी चाहिए और अपनी वेबसाइट पर प्रकाशन के जरिये वार्षिक रूप में केंद्रीय सूचना आयोग को सूचित किया जाना चाहिए। सभी लोक प्राधिकरणों को अपनी वेबसाइट पर थर्ड पार्टी लेखापरीक्षकों के नामों का अग्रसक्रिय रूप से खुलासा करना चाहिए। बाहरी कंसल्टेंट्स के माध्यम से थर्ड पार्टी लेखापरीक्षा कराने के लिए भी मंत्रालयों/लोक प्राधिकरणों को अपनी योजना/गैर योजना निधियों का उपयोग करना चाहिए।

4.5 केंद्रीय सूचना आयोग को प्रत्येक मंत्रालय/लोक प्राधिकरण की थर्ड पार्टी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए और संबंधित मंत्रालयों/लोक प्राधिकरणों को सुझाव देना/सिफारिशें करनी चाहिए।

4.6 केंद्रीय सूचना आयोग को शामिल की गई मदों की पर्याप्तता और इन दिशानिर्देशों के मंत्रालय/लोक प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन के संबंध में प्रत्येक वर्ष कुछ मंत्रालयों/लोक प्राधिकरणों की नमूना लेखापरीक्षा करनी चाहिए।

4.7 अग्रसक्रिय प्रकटन दिशानिर्देशों के अनुपालन, थर्ड पार्टी द्वारा इसकी लेखापरीक्षा और केंद्रीय सूचना आयोग को इस बारे में सूचित करने को आरएफडी लक्ष्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

**5.0 नोडल अधिकारी**

5.1 प्रत्येक मंत्रालय/लोक प्राधिकरण को अग्रसक्रिय प्रकटन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो और संबद्ध कार्यालयों के मामले में अपर विभागाध्यक्ष के स्तर से नीचे का न हो। नोडल अधिकारी मंत्रालय/विभाग के सचिव अथवा संबद्ध कार्यालय के विभागाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, के पर्यवेक्षण में काम करेगा। मंत्रालय/विभाग और विभागाध्यक्ष के नोडल अधिकारियों को अलग-अलग यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय के नीचे की संस्थाएं भी अग्रसक्रिय प्रकटन के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना का प्रकटन करें।

**6.0 संसद/विधानसभाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट**

6.1 सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को संसद में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्टों में सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक अलग अध्याय शामिल करने का निदेश दिया है। मंत्रालय/विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के संबंधित अध्याय में अग्रसक्रिय प्रकटन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन का ब्यौरा अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए।

*****